68

निग - 1192 - I-16

न्यायालय :— माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2016 निगरानी

1. मोहम्मद समीर पुत्र महबूब खां
2. मोहम्मद साहिव पुत्र मोहम्मद सहीद
3. गुलजान बेगम पत्नी मरहूम मोहम्मद शाहिद
4. स्मीमा बेगम पत्नी मोहम्मद समीर

समस्त निवासी वार्ड नं. 12 बेनीसागर मोहल्ला पन्ना तहसील व जिला पन्ना म0प्र0

——— आवेदकगण

श्री एस. पी. धाकड़ एड. 03/09/16 को

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर ऑफ एवं जिला पंजीयक पन्ना
2. श्रीमती रेहाना खातून वेवा नईम सिद्धकी निवासी मोहल्ला आगरा तहसील व जिला पन्ना

——— अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 56 भारतीय स्टाम्प अधिनियम न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला पन्ना म.प्र. के प्र.क. 32/सी—132/2015—16 के पारित आदेश दिनांक 10.08.2016 विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत।

3-9-16

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :—

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.08.2016 विधि विधान एवं क्षेत्राधिकार वाह्य तथा प्रकरण पत्रावली के विपरीत पारित होने से उक्त आज्ञायें अपारस्तनीय है। तथा फाइण्डिंग परवस होने निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि, स्टाम्प विकेता श्री सुशान्त गुप्ता सेवा प्रदाता पन्ना पुत्र श्री रामकृपाल गुप्ता निवासी आनन्द निवास इन्द्रपुरी कॉलोनी तहसील व जिला पन्ना द्वारा एक आवेदन पत्र दिनांक 30.04.2016 को पक्षकार नाम विकेता श्रीमती रेहाना खातून वेवा नईम सिद्धकी निवासी मोहल्ला आगरा तहसील व जिला पन्ना हाल निवास हाजी बिल्डिंग शिवाजी वार्ड क. 8 मोहल्ला किशोर गंज तहसील व जिला पन्ना म0प्र0 सहमती

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 7192–एक/16 जिला– पन्ना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–2.–17	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस0पी0 धाकड़ उपस्थित । अनावेदक शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित 2/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, जिला–पन्न के प्रकरण क्रमांक 32/सी–132/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 10.08.2016 के विरूद्ध भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (जिसे आगे संक्षिप्त में अधिनियम कहा जावेगा) की धारा 56 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा वही तर्क दोहराये गये है जो निगरानी मेमों में है। अतः तर्कों को दोबारा न दोहराते हुये मुख्य तर्क प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह बताया गया है कि स्टाम्प विक्रेता श्री सुशांत गुप्ता सेवा प्रदाता पन्ना पुत्र श्री रामकृपाल गुप्ता, निवासी आनन्द निवास, इन्द्रपुरी कॉलोनी तहसील व जिला–पन्ना द्वारा एक आवेदन पत्र दिनांक 30.04.2016 को पक्षकार नाम विक्रेता श्रीमती रेहाना खातून बेवा नई सिद्धकी, निवासी–मोहल्ला आगरा तहसील व जिला–पन्ना, हाल निवासी हाजी विल्डिंग शिवाती वार्ड	

क्र0 8 मोहल्ला किशोर गंज तहसील व जिला–पन्ना (म0प्र0) सहमतिकर्तागण (गवाह), मोहम्मद तलहा सिद्धकी, मोहम्मद तौहिद सिद्धकी, मोहम्मद समीर, मोहम्मद साहिब, गुलजान बेगम एवं समीमा बेगम आदि का पंजीयन संदर्भित आईडी क्र0 एस0पी0ओ0 12845205201500562 के जरीये केडिट सीमा से दस्तावेज पंजीयन हेतु ई–स्टाम्प शुल्क 501879.00/– रुपये (पांच लाख एक हजार आठ सौ उन्यासी रुपये मात्र।) का भुगतान किया था । जिसका ई–स्टाम्प को–01012830042016007254 जनरेट हुआ था। इस दस्तावेज का पंजीयन आवेदन क्रमांक 300416001164 था। चूँकि उभयपक्षों को घरेलू कारणवस क्रेता एवं विक्रेता के मध्य सौदा निरस्त होने से पंजीयन का निष्पादन अधूरा रह गया है एवं दोनों पक्षकारों द्वारा ई–स्टाम्प शुल्क का भुगतान नहीं किया है। जिसका शपथ–पत्र संलग्न है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्पद्वारा आदेश दिनांक 10.08.2016 में यह कहते हुये कि प्रस्तुत ई–स्टाम्प पर विक्रय पत्र लेख किया गया तथा दोनों पक्षकारों के हस्ताक्षर है, अर्थात् दस्तावेज निष्पादित है। दस्तावेज में मात्र उभयपक्षों के घरेलू कारणवस उभयपक्ष के मध्य सौदा निरस्त हो जाने से निष्पादित दस्तावेज पूर्ण रूप से शून्य या मूल रूप से आशियत प्रयोजन के लिये अनुपयुक्त नहीं हो जाता । निष्पादित दस्तावेज की अपनी स्वयं वैधानिकता है और स्टामप का सदामय

उपयोग हो चुका है। अतः आवेदक को धारा 49(घ) के अन्तर्गत रिफण्ड की पात्रता नहीं मानकर आवेदन पत्र निरस्त किया है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालाय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर ई–स्टाम्प शुल्क रिफण्ड किया जाना न्यायोचित होगा।

4/ अनावेदक शासन की ओर से पैनल अभिभाषक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अभिभाषककों के तर्क श्रवण किये गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण में आवेदक द्वारा नोटरी शपथ पत्र प्रस्तुत किया तथा शपथ–पत्र में उल्लेख किया है कि भूमि विक्रेता एवं क्रेतागणों के मध्य निष्पादन प्रकिया की गई थी। किन्तु उभयपक्षों के घरेलू कारणवश सौदा निरस्त होने से पंजीयन का निष्पादन अधूरा रह गया था। उसमें कुल ई–स्टाम्प 501879/– रुपये आवेदक द्वारा चुकाया गया था, जिसका भुगतान आवेदक ने उपरोक्त पक्षकारों से नहीं लिया है।

6/ प्रकरण का परीक्षण किया गया । रिफण्ड हेतु प्रस्तुत ई–स्टाम्प पर विक्रयपत्र कीमती 5026380/– रुपये का विक्रयपत्र लिखा जा चुका है। पक्षकारों के हस्ताक्षर पंजीयन हेतु उप–पंजीयक कार्यालय पन्ना में स्लॉट आरक्षित किया गया । अतः दस्तावेज पर केता व विकेता तथा गवाहों के हस्ताक्षर भी मौजूद है।

निष्पादित दस्तावेज के संबंध में स्टाम्प अधिनियम की धारा 49(घ) की उपधारा 1 व 2 में प्रावधान है कि विधि के अनुसार पूर्ण रूप से शून्य या मूल रूप से आशायित प्रयोजन के लिये अनुपयुक्त होने पर ही स्टाम्प रिफण्ड हो सकते हैं । स्टाम्प एक्ट की धारा 49(घ) 5 उन लिखतों से संबंधित है, जिनका प्रयोजन उसके अधीन कार्य करने वाले व्यक्ति के इंकार करने से विफल हो जाता है, जैसा कि मुख्यारनामा जो उसके अधीन कार्य करने से इंकार करें या बन्धक विलेख जब बन्धनकर्ता उसके द्वारा प्रतिभूति आशायित कोई अग्रिम धन देने से इंकार करें तथा स्टाम्प एक्त की 49(घ) 6, 7, एवं 8 में प्रतिस्थापन्न विलेख होना आवश्यक है। प्रस्तुत ई–स्टाम्प पर विकयपत्र लेख किया गया तथा दोनो पक्षकारों के पूर्णरूपेण हस्ताक्षर है। दस्तावेज में मात्र उभयपक्षों के घरेलू कारणवश केता विकेता के मध्य सौदा निरस्त हो जाने से निष्पादित दस्तावेज पूर्ण रूप से शून्य या मूल रूप से आशियत प्रयोजन के लिये अनुपयुक्त नहीं हो जाता । निष्पादित दस्तावेज की अपनी स्वयं अवैधानिकता है और स्टाम्प का सदाशय उपयोग हो चुका है। अतः आवेदक धारा 49(घ) के अन्तर्गत रिफण्ड की पात्रता नहीं रखता। अतः कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, पन्ना द्वारा पारित किया गया आदेश न्यायोचित है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, पन्ना द्वारा पारित आदेश में कोई अनियमितता

एवं अवैधानिक प्रदर्शित नहीं होती । अतः कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, पन्ना द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.08.2016 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है। फलतः प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से निरस्त की जाती है । प्रकरण समाप्त होकर, अभिलेख दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एम0क0 सिंह)
सदस्य